न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी (जिला– गंगापुर सिटी)

मु.नं. : 96/2024

तारीख रजू : **21/10/2024**

निर्णय दिनांक : 12/11/2024

सरकार बनाम राम सहाय

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **बाढकलां** ने इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि श्री **रामसहाय पुत्र भोला जाति माली** निवासी **बाढकलां तह0 गंगापुर सिटी** ने खसरा नं. **137 में रकबा 0.20 है0** किस्म **गै0मु0 श्मशानघाट** वाके ग्राम **बाढकलां** पर संवत् 2081 फसल रबी में अनाधिकृत रूप से कब्जा एवं जोतकर अवैध अतिचार कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया ।

गैरसायल को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त। गैरसायल द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जबाव इस आशय पेश किया कि उसकें द्वारा उक्त सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिचार नहीं किया है। यदि मौके पर कोई कब्जा या अतिक्रमण पाया जाता है तो उसे हटा लेगा। जबाव शामिल पत्रावली किया गया।

पटवारी हल्का उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया। हल्का पटवारी द्वारा अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा एवं जोतकर अवैध अतिचार कर लिया है। अतिक्रमण के संबंध में उपस्थित पटवारी हल्का के बयान लिए गए। पटवारी हल्का ने अपने बयानों में बताया है कि अतिक्रमी ने उक्त आराजी पर कृषि वर्ष संवत् **2079** में भी अतिक्रमण किया था एवं अब संवत् 2081 में भी उसके द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया है। इस प्रकार अतिक्रमी बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है एवं अतिक्रमी द्वारा वर्तमान में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट एवं पटवारी हल्का के बयानों से जाहिर होता है कि अतिक्रमी बार बार अतिक्रमण करने का आदी है। पूर्व में भी अतिक्रमी को उक्त भूमि से बेदखल किया जा चुका है। चूंकि अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिससे अतिक्रमी को बेदखल किया जाना एवं उसके इस कृत्य के लिए सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर श्री **रामसहाय पुत्र भोला जाति माली** निवासी **बाढकलां तह0 गंगापुर सिटी** का पश्चातवर्ती अतिचार प्रमाणित होने के कारण उसके विरुद्व राजस्थान भू राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर अतिक्रमी को **60 दिवस** के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है। अतिक्रमी का वारण्ट गिरफ्तारी जारी कर वास्ते तामील भारसाधक पदाधिकारी को भिजवाया जावे। साथ ही अतिक्रमी को आराजी प्रश्नगत से बेदखल किया जावें एवं लगान **3/–** की दर से 50 गुना शास्ति **150/–** आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे/फसल को नियमानुसार कब्जे राज में लेकर नियमानुसार बेदखल करें एवं पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे । पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/11/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या ....पर
रुपये 150/– की कायमी वर्ष 2024–25
की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार